



2026:AHC:56302

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9448 / 2026

सच्चिदानंद यादव उर्फ लालधर यादव

...आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार यादव, सरोज कुमार दुबे

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

(क्रम संख्या 21 / 116)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार दुबे, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनाथ पांडे, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया तथा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा थाना- कुबेरस्थान, जिला- कुशीनगर में पंजीकृत केस अपराध संख्या 190/2025 (धारा 190, 191(2), 191(3), 103(1), 352, 351(3), 3(5), 61(2) बी.एन.एस. और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम) में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनाकर्ता के पुत्र पर बेरहमी से हमला किया और दिनांक 29.08.2025 को शाम लगभग 8:00 बजे उसकी हत्या कर दी।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि एफ.आई.आर. में पांच घंटे से अधिक का विलंब है, और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मृतक को आई चोटें अभियोजन पक्ष की कहानी से मेल नहीं खाती हैं। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं। एफ.आई.आर. में उल्लिखित तीन चश्मदीद गवाहों, जानेश्वर, विकास और सत्यार्थ के बयान देरी से दर्ज किए गए थे, और उन्होंने भी आवेदक तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए हैं।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि बाद में अभियोजन पक्ष द्वारा दो और गवाहों, अमरेंद्र सिंह और कुंवर बहादुर सिंह को शामिल किया गया है, जिन्होंने आवेदक पर कुल्हाड़ी से मृतक पर हमला करने का आरोप लगाया है। यही बयान सूचनाकर्ता द्वारा भी दिया गया है। ये बयान केवल आवेदक को जेल में रखने के उद्देश्य से बाद में सोच-समझकर दिए गए हैं। सह-अभियुक्त श्रीनिवास यादव उर्फ गुल्लू, जानेंद्र उर्फ ज्ञान यादव और चंद्रदीप यादव को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4995/2026, 6543/2026 और 8046/2026 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2026, 23.02.2026 और 10.03.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः आवेदक भी जमानत का हकदार है। आवेदक 31.08.2025 से जेल में है और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. इसके विपरीत, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का इस आधार पर कड़ा विरोध किया है कि, हालांकि एफ.आई.आर. में सामान्य और सर्वव्यापी आरोप थे, लेकिन सूचनाकर्ता और दो चश्मदीद गवाहों के बाद के बयान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक मुख्य हमलावर था और उसके पास कुल्हाड़ी थी। आवेदक की निशानदेही पर कुल्हाड़ी की बरामदगी भी हुई है, अतः वह जमानत का हकदार नहीं है।

8. आवेदक का मामला अन्य सह-अभियुक्तों के मामले से भिन्न है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और सूचनाकर्ता तथा दो स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों, अमरेंद्र सिंह और कुंवर बहादुर सिंह के बयानों को ध्यान में रखते हुए, तथा यह कि आवेदक ने कुल्हाड़ी से मृतक को चोटें पहुंचाई, मैं इसे आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ। जमानत आवेदन गुणहीन पाया जाता है और तदनुसार *निरस्त* किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले का निर्णय, यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702* के मामलों में दिए गए हालिया निर्णयों के सिद्धांतों के आलोक में यथाशीघ्र शीघ्रता से किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

19 मार्च, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।